कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

—::आदेश::—

क्रमांक203/दो—11—24/19 नर्मदापुरम, दिनांक 16.02.2025

श्री संदीप चुटेलकर, भृत्य नजारत अनुभाग, पिपरिया का दिनांक 03.02.2026 से 20.02.2026 तक कुल 18 दिवस का अर्जित अवकाश, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् आवेदक के अर्जित अवकाश लेखे में 84 दिवस का स्वत्व शेष है।

1— उपरोक्त अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहेगा।

2— अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी) (दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)

पृ0क0 819/दो—11—24/19 नर्मदापुरम, दिनांक 16.02.2025

यथाआदेश प्रतिलिपिः—

01. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, पिपरिया की ओर सूचनार्थ एवं श्री संदीप चुटेलकर, भृत्य, को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।

02. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

16/2/26

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)